

महत्वपूर्ण एवं खास

कार को बचाने के चक्रकर में ट्रैक्टर पलटा,

एक बच्ची सहित चार घायल

रायपुर (आरएनएस)। रविवार की देर रात्रि राजिम से अभनपुर की ओर तेज रफ्तार कार को बचाने के चक्र में ट्रैक्टर पलट गई। ट्रैक्टर में सवार चार लोग घायल हो गये जिन्हे प्रारंभिक उपचार के लिये नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र अभनपुर में भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के अनुसार अभनपुर थाना अंतर्गत आईटीआई के पास राजिम की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार क्रमांक सीजी 04 एच के 1000 को बचाने के चक्र में ट्रैक्टर क्रमांक सीजी 04 डीबी 3551 पलट गई जिससे चलते उसमें सवार एक बच्ची सहित 4 लोग घायल हो गये। घायलों को प्राथमिक उपचार के लिये भर्ती कराया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार छट्टी कार्यक्रम में शामिल होकर ग्राम चंडी से आ रहे ट्रैक्टर क्रमांक सीजी 04 डीबी 3551 में सवार 4 लोग एक बच्ची के घायल हो जाने की रिपोर्ट दर्ज अभनपुर थाने में दर्ज करायी गई है।

तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रैक्टर को ठोका, तीन घायल, एक की हालत गंभीर

बेमेतरा (आरएनएस)। धमधा मुख्य मार्ग पर ग्राम रवेनी डी के पास सोमवार सुबह मालवाहक तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रैक्टर को पीछे से ठोकर मार दिया। जिसमें तीन लोग बुरी तरह घायल हो गए। घायलों में एक की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार डॉयल 112 के जवानों ने घटना की सूचना मिलते ही घटनास्थल पहुंचकर तीनों घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। जहां उनका उपचार चल रहा है। पीछे से मारा ट्रक डॉयल 112 के जवानों ने बताया सोमवार सुबह धमधा रोड से दुर्ग की ओर जा रही ट्रक क्रमांक सीजी 04 डी.257 में चालक की बोरियां लोड थी। वहीं ट्रैक्टर चालक पोटिया से जेवरा रिसर्स ट्रॉली लेने जा रहा था। इसी बीच अपना गुड्स ट्रांसपोर्ट की ट्रक ने सामने चल रही ट्रैक्टर को पीछे से जोरदार टक्कर मार दिया। जिससे ट्रैक्टर में सवार जुगत राम साहू गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं कुंचर सिंह, संतराम, प्रेमलाल और दो बच्चों को भी चोट आई है। पराह हो गया ट्रक ड्राइवर ट्रैक्टर को ठोकने के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। सड़क दुर्घटना के बाद लोगों की भीड़ बढ़ता देख चालक ने ट्रक वहीं छोड़ दिया। इधर 112 के जवानों ने घायलों की मदद करते हुए उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस मर्ग कायम कर इस मामले की जांच में जुट गई है।

साथ जाने से इंकार करने पर युवती को

बेल्ट से पीटा, युवक पर मामला दर्ज

रायपुर (आरएनएस)। युवक के साथ जाने से इंकार करने पर युवती को बेल्ट से मारकर घायल कर देने की रिपोर्ट गुद्धियारी थाने में दर्ज की गई है। मिली जानकारी के अनुसार पार्वतीनगर गुद्धियारी निवासी युवती तान्या साहू 18 वर्ष पिता रमेश साहू ने रिपोर्ट दर्ज करायी है कि गुद्धियारी पार्वतीनगर निवासी विकाश देशमुख 21 वर्ष ने साथ चलने को कहा इंकार करने पर गाली-गलौट करते हुये बेल्ट से मारपीट कर चोट पहुंचाया। पुलिस ने प्रार्थिया की रिपोर्ट पर धारा 294,323 के तहत अपराध कायम कर मामला दर्ज किया है।

गोवंश की रक्षा के लिए सुरभी महायज्ञ कल से

भिलाई (आरएनएस)। राजिम मार्थी पुरी मेला में 26 फरवरी से सुरभी महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। गोवंश की रक्षा के लिए पाटेश धाम बालोट के रामबालक दास की महायज्ञी द्वारा इस महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। 4 मार्च तक चलने वाले इस महायज्ञ की शुरुआत मंगलवार से होगी। महायज्ञ के संबंध में रामबालक दास महाराज ने रामायण के लिए देखते राम के साथ कुल्लेश्वर महादेव मंदिर से महिलाएं गाजे बाजे के साथ निकलेंगी। यहां से मुख्य मंच होते हुए महानदी आरती स्थल पहुंचेंगे। यहां से जल भरकर महिलाएं कलश लेकर संत समागम के पास यज्ञ स्थल पहुंचेंगे। यहां पर जल स्थापना करने के बाद 27 फरवरी से यज्ञ अनुष्ठान शुरू होंगे। रामबालक दास महाराज ने इस पुनित कार्य में श्रद्धालुओं को शामिल होने की अपील की है।

अवैद्य शराब के साथ महिला गिरफ्तार

रायपुर (आरएनएस)। अवैद्य रुप से बोरी में 48 पाव शराब रखे पाये जाने जाने पर खमतराई पुलिस ने महिला को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार डेरापारा खमतराई निवासी भारती धूबी 31 वर्ष पति बैसाख धूबी की सूचना पर पुलिस ने जांच के दौरान प्लास्टिक के बोरी में रखे 48 पाव देशी शराब जस कर गिरफ्तार किया है।

ज्यादा लाड़-प्यार बच्चों को बना सकता है जिद्दी, अपनाएं ये टिप्स

अक्सर देखा जाता है कि वह बच्चों नहीं कर पाते। इकलौते बच्चे गुमसुम, शर्मिले या फिर हाइपर एकिटर होते हैं। उनकी पूरी बातें सुनने का समय भी नहीं होता है। ऐसे में बच्चों को भावनात्मक रूप से संतुष्ट करने के लिए अभिभावकों को अच्छा श्रोता होना बहुत जरूरी है। आप बच्चे को दिन में एक बार यह जरूर महसूस करवाएं कि वह आपके लिए बहुत स्पेशल है।

बच्चों की हर बात सुनें अपना पूरा समय दें। राज नगर एक्सटेंशन की स्पेशिलिटी हास्पिटल की कंसटर्ट साइकोलॉजिस्ट डॉ. रीमा सहगल कहती है कि हर बच्चे को कीमती खिलाने और मोबाइल की जरूरत से ज्यादा आपका समय चाहिए होता है। उनके मन में वर्किंग कपल हैं तो कोशिश करें।

वरिष्ठता एवं निर्धारित मापदंड में पात्र पाये अधिकारी को दी गई पदोन्नति - डॉ. प्रेम साय

रायपुर, (आरएनएस)।

छत्तीसगढ़ विधानसभा में चालू बजट सत्र के दौरान आज डॉ. पीतम राम, बृहस्पति सिंह, पारसनाथ राजवाडे की ध्यानार्थक सूचना के संबंध में जानकारी देते हुए छत्तीसगढ़ के सहकरिता मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा कि जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित अधिकारी के संबंध में तत्कालीन संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं रायपुर के पत्र दिनांक 2 अप्रैल 2018 के अनुसार बैंक के संबंध में तत्कालीन संयुक्त पंजीयक सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित अधिकारी संचालक मंडल का पदेन संचिव के तहत रामदेव राम अध्यक्ष पद से तीन वर्ष के लिए निर्वाहित करने का आदेश 3 अप्रैल 2018 को जारी किया गया। मुख्य कार्यपालन 2019 द्वारा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित अधिकारी संचालक मंडल की बैठक 3 अप्रैल 2018 के प्रभाव को आगामी आदेश तक स्थगित किया गया है, जिससे पुनः रामदेव राम अध्यक्ष पद पर कार्रवाई है।

सदस्यों ने ध्याकर्षण सूचना में उत्था संयुक्त पंजीयक सहकारी समाज के खिलाफ मामला



की तहत रामदेव राम को अध्यक्ष पद से तीन वर्ष के लिए निर्वाहित करने का आदेश 3 अप्रैल 2018 को जारी किया गया। मुख्य कार्यपालन 2019 द्वारा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित अधिकारी संचालक मंडल की बैठक 3 अप्रैल 2018 के प्रभाव को आगामी आदेश तक स्थगित किया गया है, जिससे पुनः रामदेव राम अध्यक्ष पद पर कार्रवाई है।

पंजीयक सहकारी संस्थाएं तत्कालीन संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं सरगुजा की विचाराधीन है। इस प्रकरण में न्यायालय के आदेश 11 जनवरी 2019 द्वारा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित अधिकारी संचालक मंडल की बैठक 3 अप्रैल 2018 के प्रभाव को आगामी आदेश तक स्थगित किया गया है, जिससे पुनः रामदेव राम अध्यक्ष पद पर कार्रवाई है।

उहोंने यह भी बताया कि विभागीय पदोन्नति के लिए आदेश 3 मई 2018 को हटा दिया गया। ऐसे अवैधिक कार्य करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कठोर

कार्यवाही करने के बजाए विभाग द्वारा उसे पदोन्नत करके मुख्यालय में पदस्थ कर दिया गया है। संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं सरगुजा की विचाराधीन है। इस प्रकरण में न्यायालय के आदेश 11 जनवरी 2019 द्वारा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित अधिकारी संचालक मंडल की बैठक 3 अप्रैल 2018 के प्रभाव को आगामी आदेश तक स्थगित किया गया है, जिससे पुनः रामदेव राम अध्यक्ष पद पर कार्रवाई है।

अपने ध्यानाकर्षण सूचना में

सदस्यों ने ध्याकर्षण सूचना में उत्था संयुक्त पंजीयक सहकारी समाज के खिलाफ मामला

के लिए आदेश 3 मई 2018 को हटा दिया गया। ऐसे अवैधिक कार्य करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कठोर

कार्यवाही करने के बजाए विभाग द्वारा उसे पदोन्नत करके मुख्यालय में पदस्थ कर दिया गया है। संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं सरगुजा की विचाराधीन है। इस प्रकरण में न्यायालय के आदेश 11 जनवरी 2019 द्वारा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित अधिकारी संचालक मंडल की बैठक 3 अप्रैल 2018 के प्रभाव को आगामी आदेश तक स्थगित किया गया है, जिससे पुनः रामदेव राम अध्यक्ष पद पर कार्रवाई है।

उहोंने यह भी बताया कि विभागीय पदोन्नति के लिए आदेश 3 मई 2018 को हटा दिया गया। ऐसे अवैधिक कार्य करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कठोर

कार्यवाही करने के बजाए विभाग द्वारा उसे पदोन्नत करके मुख्यालय में पदस्थ कर दिया गया है। संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं सरगुजा की विचाराधीन है। इस प्रकरण में न्यायालय के आद